

दिल्ली बर्मकदम इन्स्टीट्यूट

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाळा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप

बडजालास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रतिवादीगण

1. पार्षद पत्र संयाराम
- जाति संघवाल निवासी धौलिया
- तहसील बाप जिला जोधपुर
2. शाखा प्रबन्धक जो.स.सुबिलि बैंक
- शाखा फलोदी तह. फलोदी

1. पार्षद पत्र पार्षद
2. गजाराम पत्र पार्षद
3. मरजाराम पत्र पार्षद
4. पुरखाराम पत्र पार्षद
- जाति संघवाल निवासी धौलिया
- तहसील बाप जिला जोधपुर

दावा बाबत 88 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वारंते इन फिसाल कतई कबज में

व हजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 श्री रिठपालसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदयलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व हिकी दी जाती है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है ग्राम धौलिया पटवार क्षेत्र बाऊ तहसील बाप के खसरा नम्बर 729/4 रकबा 70.00 बीघा, ग्राम बाऊ पटवार क्षेत्र बाऊ के खसरा नम्बर 650/1 रकबा 43.10 बीघा काइत मुँस में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप में सहजातेदार काइतकार घोषित किये जाते हैं। ग्राम बाऊ के खसरा नंबर 650/1 रकबा 43.10 बीघा मुँस पूर्व की भांति रहन रहनी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक


खर्चा इस मुकदमें मय सौद व वाइर

वसूल याही तक

को अदा करें।

फास सदी सालाना आज की तारीख

बाबत में दरख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 11 सन 2019 जारी की गई।



महावीर सिंह
अधीन
बाप (जिला जोधपुर) राज

मुदई	कपया	पैसे	मुदयला	कपया	पैसे
स्टाम अर्जी दावा स्टाम	स्टाम वकालत नामा	स्टाम वजह सर्ज	स्टाम वकालत नामा	स्टाम अर्जी	स्टाम अर्जी
महनताना वकाल	खर्चा वाहन	फास कमीशनर	बाबत इजराय इकमनामा	मुत्फरिक	मिजान
बाबत इजराय इकमनामा	मिजान				

ट :- इस खर्च के काम पर कुल खर्च यह ही फलीकन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया न तो दर्ज किया जावे।

पानी के टांक इत्यादि बना रखे है। उक्त रूढ़वासीय जाणियों में वादीगण बारह ही
स अपन परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को
वादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी
निसका यह वाद पेश है। वादीगण ने वाद के अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि
वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये
ने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को जसिये सम्मन
ब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता रिष्पालसिंह सोलंकी ने अपना
कालनामा प्रस्तुत किया और इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को
क इस्तद्आा हिकी किये जाने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वाद
प्रतिवादी की तरफ से विरुध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम नहीं की गई।
जल वादीगण वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। इसलिये पत्रावली बहस
रही गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे
या कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामगती पुरवैनी कृषि भूमि ग्राम धालिया
र क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 729/4 रकबा 70.00 बीघा, ग्राम बारू
र क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 650 रकबा 43.10 बीघा स्थित है। उक्त
पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को
भूमि जसिये विरसत के प्राप्त हुई है। यैकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा सताने है
य उतका उक्त वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही
महित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से
र काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य
वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पत्र है वादग्रस्त भूमि पुरक भूमि है अतः
ग का वाद माफिक इस्तद्आा हिकी किया जावे तो उन्हें कोई उजर ऐतराज नहीं है।
ग का वाद माफिक इस्तद्आा स्वीकार किया जावे।
वकालत पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस
न किया गया बाद मनन एवं अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वादग्रस्त

